ओमप्रकाश व अन्य बनाम राजस्थान सरकार

5/11/2025

आज्ञा विस्तृत रूप से

पत्र. दिनांक		विशेष विवरण
18.06.2025	वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बावत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु का पेश किया। रिपोर्ट सरिश्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर वकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम जगन्नाथपुरा, पटवार हल्का मुहाना, भू.अभि.नि. क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि खाता संख्या 51 के खसरा नम्बर 274/1, 285, 286, 287, 318 कुल किता 5 कुल रकबा 2.5300 है0 का सीमाज्ञान आनलाईन प्राप्त आवेदन टोकन संख्या 2025/19634/32 दिनांक 05.06.2025 की पालना में दिनांक 06.06.2025 को उपस्थित खातेदारो के समक्ष मौके पर सायपुरा स्थित चौमेडा विन्दु खसरा संख्या 224 का उत्तरी पूर्वी कोणा को मुस्तकीम मुकाम विन्दु मानते हुए ख. सं. 285 का उत्तरी पूर्वी कोणा कायम किया। उक्त कोने से जरीब चलाकर खसरा संख्या 285 का दक्षिणी पूर्वी कोण की जानकारी दी, व किस्तवार जरीब चलाकर उक्त खसरा नम्बरान का सीमांकन कर सीमाज्ञान करवाया गया। सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस वकील प्रार्थीगण व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 06.06.2025 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। इस बाबत् भविष्य में पडौसी काश्तकारो में किसी प्रकार की प्रकार विवाद नही हो इसलिए सीमाज्ञान करवाया जाना है ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बावत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वाके ग्राम जगन्नाथपुरा, पटवार हल्का मुहाना, भू. अभि.नि. क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि खाता संख्या 51 के खसरा नम्बर 274/1, 285, 286, 287, 318 कुल किता 5 कुल रकबा 2.5300 है0 का सीमाज्ञान फर्द मौका–रिपोर्ट आदेश दिनांक 06.06.2025 के अनुसार उभयपक्षो की उपस्थिति में पुख्ता सीमाचिन्ह्व कायम करें। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगानेर जयपुर (द्वितीय)